FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – **जिला कलक्टर** मुकाम **अजमेर**

बाली बेवा उगमा व अन्य बनाम शंकर नाथ व अन्य

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि 1956 **प्रकरण संख्या** 07/2016

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट अनुपस्थित । राजकीय पेरोकार उपस्थित । राजकीय पेरोकार ने पत्रावली पर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना अपीलांट/वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 18.7.2016, की पालना में आज तक नोटिस तलबाना प्रस्तुत नही किए गए है। तत्पश्चात दिनांक 29.08.2016, 03.10.2016, 06.12.16, 28.3.17, 2.5.17, 06.06.2017, 11.07.17, 03.10.17, 31.10.17, 5.12.17, 9.1.18, 13.03.18, 10.4.18, 12.06.18, 14.08.18, 18.9.18, 23.10.18, 27.11.18, 12.2.19, 19.3.19, 23.4.19, 28.05.19, 2.07.19, 06.8.19, 03.10.19, 6.11.19, 11.12.19, 1.1.20, 5.02.19, 4.03.20, 1.4.20, 10.6.20, 22.7.20, 26.8.20, 14.10.20, 16.12.20, 21.1.21, 17.3.21, 28.4.21, 19.05.21, 07.7.21, 15.09.21, 1.12.21, 16.2.22, 23.3.22, 27.9.22, 25.11.22, 19.5.23,को नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया । तत्पश्चात दिनांक 6.10.23, 6.10.23, 05.1.24, 12.4.24, 31.5.24, 12.7.2024 को अन्तिम मौका दिये जाने पर अपीलांट/वकिल अपीलांट द्वारा नोटिस तलबाना प्रस्तुत नही किया गया। ना ही अपीलांट/वकील अपीलांट नियमित रूप से उपस्थित हो रहे है। अतः अपील अपीलांट अदम पालना में खारिज हेतु निवेदन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय प्रभावी आदेशिका 12.7.2024 के बावजूद लगभग 48 से अधिक अवसर प्राप्त किये जाने एवं 08 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नहीं की गई। जिससे अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उक्त अपील को चलाये जाने में ना तो किसी प्रकार की रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही अपीलांट जरिये अधिवक्ता न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित नही हो रहे है । इस प्रकार कानूनी प्रावधानों के तहत उभयपक्षकार अपने हक अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहता है उसकी न्यायालय किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता हैं। अतः अपीलाण्टगण की अपील न्यायालय आदेशों की अदम पालना में निरस्त कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (लोक बंधु) जिला कलक्टर, अजमेर	